	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	**RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary**
सत्यमेव जयते	साअधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	कार्तिक 23, गुरूवार, *शाके* 1941–नवम्बर 14, 2019 *Kartika 23 Thursday, Saka 1941–November 14, 2019*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञाएँ

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 24, 2019

संख्या प.1(6)न्याय/2019 :- राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 (सन् 1950 का अध्यादेश संख्या-7) की धारा 7 की उपधारा (1) धारा 12 की उपधारा (1) एवं धारा 16 की उपधारा (1) तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता,1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय की सिफारिश पर, राज्य सरकार, निम्नलिखित सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय तुरन्त प्रभाव से सृजित एवं स्थापित करती है:-

क्र.स	नवसृजित न्यायालय का नाम	जिला	बैठक का स्थान
1	2	3	4
1.	अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट,संख्या 5, अलवर	अलवर	अलवर
2.	अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट,संख्या 6, अलवर	अलवर	अलवर

नोट:- उक्त न्यायालयों का स्थानीय क्षेत्राधिकार राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 की धारा 10 (3) एवं 7(2) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत जिला एवं सैशन न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार भारवानी,
प्रमुख शासन सचिव ।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।